न्यायालयः– अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीम का थाना जिला सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः श्री राकेश शर्मा **(आर.जे.एस.)**
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या– 162/2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 242/2016
सीआईएस संख्या 439/2017
सीएनआर संख्या RJSK070010632017

राजस्थान राज्य ब ना म मूलाराम वगैरह

आरोप अन्तर्गत धारा 147,336,354 ए भादंस.

भाग प्रथम

क

परिवादी	श्री बीरबल गुर्जर
प्रस्तुतकर्ता	राज्य सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	1. मालाराम पुत्र रिछपाल, 2. चिमनलाल पुत्र पोखरमल 3. लीलाराम पुत्र रिछपाल, 4. मन्दोरी पत्नी गोकुलचंद, 5. केला पत्नी मूलचंद, 6. मंजू पत्नी लीलाराम, 7. विमला पत्नी कमलेश, 8. सूरजभान पुत्र गोकुलचंद निवासीगण ढ़ाणी नाल की, तन सिरोही, तहसील नीमकाथाना
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त	श्री होशियार सिंह बड़सरा

ख

क्रम संख्या	चरण	दिनांक
1.	प्रकरण संस्थित हुआ	08.05.2017
2.	आरोप विरचित किए गए	07.08.2023, 01.06.2024
3.	साक्ष्य अभियोजन खोली गयी	01.06.2024
4.	अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गयी	.06.2026
5.	परिक्षण अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी	02.06.2026
6.	साक्ष्य सफाई पेश की गयी	11.06.2026
7.	बहस अंतिम सुनी गयी	30.06.2026
8.	निर्णय की दिनांक	30.06.2026
9.	विचारण में लगा समय	लगभग 9 साल

ग

अभियुक्त का विवरण

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत पर छोडे जाने की तिथि	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषसिद्धि या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण (यदि कोई हो तो)	धारा 428 दं.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि

1	सूरज भान	–	09.11.22	147,336, 354 ए भादसं.	दोषमुक्त	शून्य	शून्य
2	माला राम	जमानतीय अपराध	22.08.17	147,336 भादसं.	दोषमुक्त	शून्य	शून्य
3	चिमन लाल	जमानतीय अपराध	22.08.17	147,336 भादसं.	दोषमुक्त	शून्य	शून्य
4	लीलाराम	जमानतीय अपराध	22.08.17	147,336 भादसं.	दोषमुक्त	शून्य	शून्य
5	मन्दोरी	जमानतीय अपराध	22.08.17	147,336 भादसं.	दोषमुक्त	शून्य	शून्य
6	केला	जमानतीय अपराध	22.08.17	147,336 भादसं.	दोषमुक्त	शून्य	शून्य
7	मंजू	जमानतीय अपराध	22.08.17	147,336 भादसं.	दोषमुक्त	शून्य	शून्य
8	विमला	जमानतीय अपराध	22.08.17	147,336 भादसं.	दोषमुक्त	शून्य	शून्य

भाग द्वितीय
अभियोजन / बचाव / न्यायालय गवाहान की सूची

अ -अभियोजन गवाह

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह,पुलिस गवाह,विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्लयू–1	बीरबल	परिवादी/नक्शा मौका गवाह
पीडब्ल्यू 2	डॉ. हरिसिंह गोठवाल	चिकित्सकीय गवाह
पीडब्ल्यू 3	संतोष देवी	मजरूब/नक्शा मौका गवाह
पीडब्ल्यू 4	प्रियंका	चश्मदीद एवं नक्शा मौका गवाह

ब — बचाव पक्ष

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह,पुलिस गवाह,विशेषज्ञ गवाह,

		चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––––––––		

स – न्यायालय गवाह

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह,पुलिस गवाह,विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––––––––		

अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्श

अ – अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1	प्रदर्श पी 1	परिवाद
2	प्रदर्श पी 2	नक्शा मौका घटनास्थल
3	प्रदर्श पी 3	प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र
4	प्रदर्श पी 4	बयान बीरबल
5	प्रदर्श पी 5	चोट प्रतिवेदन संतोष देवी
6	प्रदर्श पी 6	बयान 164 सीआरपीसी मजरूबा संतोष देवी

ब- बचाव प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1	**प्रदर्श डी 1**	**पुलिस बयान प्रियंका देवी**
2	**प्रदर्श डी 2**	**पुलिस बयान संतोष देवी**

स- न्यायालय प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
––––––––		

नि र्ण य **दिनांकः30.06.2026**

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी श्री बीरबल पुत्र श्री मूंगाराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी नाल की तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ने अभियुक्तगण 1. सूरजभान पुत्र गोकुलचन्द 2. मूलाराम पुत्र रिछपाल 3. चिमनलाल पुत्र पोखरमल 4. लीलाराम

पुत्र रिछपाल 5 मन्दोरी पत्री गोकुलचन्द 6. केला पत्नी मूलचन्द 7. मंजू पत्नी लीलाराम 8. विमला पत्नी कमलेश रामस्त जात्ति गुर्जर निवासी गण ढाणी नाल की तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि दिनांक 16.06.16 को समय सुबह करीब 7 बजे मुल्जिमान एकराय होकर आपराधिक नियत से परिवादी के घर के सामने आये तथा सभी ने परिवादी की पत्नी को गाली गलौच करना चालू कर दिया तथा सभी पत्थर फेंकने लग गये। जिससे परिवादी की पत्नी का जीवन संकट में पड़ गया। परिवादी की पत्नी को मुल्जिम सूरजभान ने परिवादी की पत्नी की लज्ञा भंग करने के आशय से बांथ भरकर पकड़ लिया। परिवादी की पत्नी द्वारा बारघौडा करने पर सभी मुल्जिमान परिवादी की पत्नी के साथ मारपीट करने लग गये तथा परिवादी की पत्नी को नीचे गिरा दिया तथा परिवादी की पत्नी का मंगलसूत्र का फूल सोने का तोड़ लिया तथा मुल्जिम सूरजभान ने परिवादी की पत्नी की लज्ञा भंग करने के आशय से परिवादी की पत्नी का कमीज छाती के ऊपर से फाड़ दिया तथा चूड़ा तोड़ दिया तथा सभी मुल्जिमान ने कहा कि आज इसे नंगा कर दो ताकि ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। परिवादी के साथ घटी घटना लोगो ने देखी है। परिवादी की पत्नी का बारघौडा करने पर सभी मुल्जिमान परिवादी की पत्नी को छोड़कर चले गये। मुल्जिमान परिवादी की कृषि भूमि को जबरन हड़पना चाहते हैं तथा मुकदमा दर्ज करवाने पर ज्यान से मारने की धमकी दी है एवं कहा कि आज तो बच गयी आयन्दा मौका मिलते ही तेरी ईज्ञत उतार देंगे तथा कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे तथा जान से खत्म कर देंगे। ..आदि

2. परिवादी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा पर पुलिस थाना नीमकाथाना शहर में मुकदमा नंबर 242/16 धारा 143,336,379,323,504,354 भादसं. में कायम कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान नतीजा एफ.आर. नंबर 130/16 अदम वकू झूठ में पेश किया गया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रकरण में प्रोटेस्ट पिटीशन पेश किये जाने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2017 को अभियुक्त सूरजभान के विरूद्ध 147,336,354ए भादसं. में तथा शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147,336 भादसं. में प्रसंज्ञान लिया गया।

3. अभियुक्त सूरजभान को धारा147,336,354ए भादसं. के आरोप पृथक से विरचित कर तथा शेष अभियुक्तगण को धारा 147,336 भादसं. के आरोप सारांश मौखिक सुनाए व समझाए गए तो सुन समझकर अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2 व 3 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहों के बयान करवाए व दस्तावेजात प्रदर्शित करवाएं ।

5. अभियुक्तगण का परीक्षण धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया तो अभियुक्तगण ने गवाहान के बयानों को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा,

निर्दोष है, झूठा फंसाया गया है, का कथन किया है तथा अपने पक्ष समर्थन में गवाह डी.ड. 1 बाबूलाल व डी.ड. 2 राजेन्द्र के बयान लेखबद्ध करवाये।

6. बहस अंतिम सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। दौराने बहस अंतिम अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप संदेह से परे साबित होने के आधार पर अभियुक्तगण को युक्तियुक्त दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया गया।

7. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने बहस अंतिम प्रमुख रूप से कथन किए गए कि पक्षकारान के मध्य जमीनी विवाद के चलते झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मजरूबा के साथ कोई मारपीट की गई हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। चूंकि तथाकथित अभियुक्त सूरजभान पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है जो कहीं नौकरी ना लग जाये इस उद्देश्य से उसे मुकदमे बाजी में फंसाने के लिए उसे हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है। अंत में अभियुक्तगण अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

8. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को संदेह से परे सिद्ध करना है किः

(1) अभियुक्तगण ने दिनांक 16.06.2016 समय सुबह करीब 07.00 बजे स्थान ढ़ाणी नाल की तन सिरोही , तहसील नीमकाथाना में पांच या अधिक व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव कर परिवादी बीरबल की पत्नी संतोष देवी के साथ मारपीट करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बल्वा कारित किया तथा परिवादी के घर पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक पत्थर फेंककर मानव जीवन एवं दूसरों का व्यैक्तिक क्षेम संकटापन्न किया तथा अभियुक्त सूरजभान ने मुस्तगीसा संतोष देवी की लज्ञा भंग करने के आशय से उसकी बांथ भरकर, उसका कमीज छाती के उपर से फाड़कर उसे निवस्त्र करने के आशय से उस पर हमला व आपराधिक बल का प्रयोग किया।

– यदि हां, तो उचित दण्ड क्या हो ?

9. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस संबंध में पत्रावली पर अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 04 गवाह परिक्षित करवाए गए हैं।

10. गवाह पी.ड. 1 बीरबल गुर्जर ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये कि दिनांक 16.06.2016 की बात है। समय सुबह 07:00 बजे की बात है। मूलचंद, सूरजभान, लीलाराम, चिमनाराम, मनोरी, केला, मंजु, और विमला ये सब मिलकर कर उनके घर आये और उसकी

पत्नी को गाली–गलौच करने लगे। फिर सूरजभान ने उसकी पत्नी को पकड़कर और पटक दिया और कमीज फाड दिया और चूड़ो का उजाड़ कर दिया और साथ वाले सब ने मारपीट की। उसकी बहु ने बारघौड़ा किया तब छोड़ दिया। उसकी पत्नी के चैन का लोकेट भी खो गया था। वह जब उसके घर आया तो उसकी पत्नी ने घटना के बारे में बताया था। उसने पुलिस थाना में रिपोर्ट पेश की थाने वालों ने नहीं ली। उसने न्यायालय में परिवाद पेश किया जो प्रदर्श पी 01 है। पुलिस वाले घटनास्थल पर आये थे नक्शामौका बनाया जो प्रदर्श पी 02 है , न्यायालय द्वारा एफ आर लगाने पर उसने प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की जो प्रदर्श पी 03 है , उसके न्यायालय में हुए बयान प्रदर्श पी 04 है उक्त प्रदर्शों पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह द्वारा वकील मुल्जिम में गवाह ने कथन किये कि उसने जो थाने में रिपोर्ट दी वह पत्रावली में नहीं है। उसने उसकी फोटो प्रति भी पत्रावली में पेश नहीं किया है। उसने उसकी रिपोर्ट थाने में नहीं लेने पर उसने रिपोर्ट के साथ थाने वालों की शिकायत एस पी साहब को की थी। यह कहना सही है कि वह रिपोर्ट भी पत्रावली पर नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने रिपोर्ट पेश नहीं की हो इसलिए पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। वे कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के लिए दूसरे व तीसरे दिन आये थे। दूसरे दिन उन्होंने एस. पी. साहब से ई–मेल करवाई। तीसरे दिन उन्होंने उसका इंतजार किया और चौथे दिन उन्होंने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। तारीख उसे याद नहीं है। परिवाद उसके लिखवाये अनुसार वकील जी ने लिखा। आज उसके द्वारा दिये गये बयानों में मंगलसुत्र का फूल खो गया बताया है जबकि उसके परिवाद पत्र में मंगलसुत्र को तोड़ना लिखा है इसमें फूल तोड़ने वाली बात सत्य है उसके द्वारा उसकी चीफ में उसने गलत बयान दिया है। मुलजिमान मुलाराम वगैरह उनके पड़ोसी व एक ही ढ़ाणी के है। उनके व मुल्जिमानों के बीच में जमीन का विवाद है। उनके बीच में सीमा का विवाद है। उनकी जमीनों के बीच में तारबंदी नहीं है। उन्होंने पत्थरगढ़ी कर रखी है। चिमनलाल उसका चचेरा भाई लगता है व मूलाराम, लीलाराम उसके भाई के लड़के है। **यह कहना सही है कि घटना के समय वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। वह उक्त घटना सुनने के आधार पर कह रहा है उसके पत्नी के कहे अनुसार कह रहा है। यह कहना सही है कि उसके द्वारा परिवाद पत्र से रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसको पुलिस झूठा मानकर उस पर एफ. आर. लगा दी।** उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए पुलिस ने उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी 01 पुलिस द्वारा गलत लिखे है। यह कहना गलत है कि वह न्यायालय में झूठे बयान दे रहा है। यह कहना गलत है कि उसके नक्शे पर खाली कागजों पर उसके हस्ताक्षर करवाये हो। वह नक्शे मौके को समझता है। उसे दिनांक याद नहीं है कि नक्शा मौका कब बनाया था। नक्शा मौका घटना के कितने दिन बाद बनाया था उसे पता नहीं है। इस प्रकार उक्त गवाह जो कि प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्जकर्ता है उक्त गवाह द्वारा

अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है **"यह कहना सही है कि घटना के समय वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। वह उक्त घटना सुनने के आधार पर कह रहा है, अपनी पत्नी के कहे अनुसार कह रहा है।"** साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) के तहत गवाह द्वारा किये गये कथन **'सुनी–सुनाई साक्ष्य' (Hearsay Evidence)** की श्रेणी में आते हैं जिसके कथनों पर कोई राय धारित करना न्याय संगत दर्शित नहीं होता है। इसके अलावा गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों व उसके द्वारा दायर परिवाद का अवलोकन किया जाये तो उनमें भी विरोधाभास दर्शित होता है। गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि उसकी पत्नी के 'चैन का लॉकेट खो गया था', जबकि मूल परिवाद पत्र (प्रदर्श पी–1) में उसने **'मंगलसूत्र का फूल तोड़ना'** लिखा था। जिरह में गवाह ने माना कि चीफ में दिया गया बयान गलत था और फूल टूटने वाली बात सही थी। गवाह ने कहा कि पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिए और खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए और प्रदर्श डी–1 (पुलिस बयान) को गलत बताया। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा विरोधाभासी कथन अपनी साक्ष्य में कथित किये हैं।

11. पीडब्ल्यू 2 डॉ हरिसिंह गोठवाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये कि दिनांक 30.06.2016 को वह वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर सामान्य चिकित्सालय नीमकाथाना में पदस्थापित था। उस रोज पुलिस प्रार्थना पत्र मजरूबा श्रीमती संतोषदेवी पत्नी श्री बीरबल उम्र 45 साल, जाति गुर्जर, निवासी नाल की ढ़ाणी, तन सिरोही, का मेडिकल मुआईना किया जिसके शरीर पर जाहिरा में कोई चोट नहीं थी केवल दाहिने पैर में दर्द की शिकायत की गई। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी मजरूबा का पहचान चिन्ह अंकित है। जिरह द्वारा वकिल मुलजिम में गवाह ने कथन किये कि **यह कहना सही है कि मजरूबा के कोई चोटें नहीं थी और दर्द की शिकायत वह दर्द नोर्मल रूप से भी शरीर में कहीं भी और कभी भी हो सकता है।** मजरूबा को उसके पास प्रेमप्रकाश लेकर के गया था। प्रेमप्रकाश द्वारा दी गई तहरीरी में कोई चोट नहीं बताई गई। सिर्फ दर्द की शिकायत होना बताया गया। यह कहना सही है कि मजरूबा के दर्द की शिकायत होना उसने उसके कहे अनुसार ही लिखी थी। यह कहना गलत है कि उसने मेडिकल मुआयना नहीं किया हो और मजरूबा के कहे अनुसार गलत रिपोर्ट तैयार की हो। इस प्रकार उक्त गवाह जो कि चिकित्सकीय साक्षी है उक्त गवाह ने जिरह में स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित किया है कि जब कथित पीड़िता (संतोष देवी) उनके पास आई, तो उसके शरीर पर मारपीट का कोई भौतिक साक्ष्य मौजूद नहीं था। आगे गवाह ने जिरह में कथन किये कि **"मजरूबा के दर्द की शिकायत होना उसने उसके कहे अनुसार ही लिखी थी।"** अभियोजन कहानी अनुसार परिवादिया संतोष के साथ 8 अभियुक्तगण द्वारा मारपीट की गई है परन्तु इस संबंध में परिवादिया के शरीर पर कोई चोट,

निलगू या खरोंच के निशान नहीं होना अभियोजन कहानी में संदेह उत्पन्न करता है और घटना की वास्तविकता पर संदेह उत्पन्न करता है।

12. गवाह पी.ड. 3 संतोष ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये कि दिनांक 16.06.2016 को सुबह 7:00 बजे की बात है। सूरजभान, चिम्मन, मूलचंद, लीलाराम, मंदोरी, केलादेवी, मंजू, बिमला ये सभी उसके घर आकर और उसके साथ गाली गलौच की और पत्थर फेंके उसके साथ मारपीट की, सूरजभान ने उसके बांथ भर ली तथा उसका ब्लाउज फाड़ दिया और उसका मंगलसुत्र तोड़ लिया फिर उसने बारघोड़ा किया तो उसकी बहु प्रिंयका भाग कर आई और उसे बचाया। उक्त मारपीट से आई चोटों का उसका मेडिकल मुआयना हुआ था। पुलिस ने उक्त घटना बाबत् उसके सामने घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था। जो प्रदर्श पी 02 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगुठा निशानी है। उसके न्यायालय के समक्ष धारा 164 सी आर पी सी के बयान हुए थे जो प्रदर्श पी 06 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। सूरजभान ने उसके कपड़े फाड़ दिये और उसके साथ गलत हरकत की। और उक्त मुलजिमानों ने कहा कि इसके कपड़े फाड़ कर नंगा कर दो ताकि ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तथा जाते समय धमकी देकर गये। अगर कोई कार्यवाही की तो जान से मार देंगे। जिरह द्वारा वकील मुलजिमान में गवाह ने कथन किये कि वह 50 साल की हो गई होगी। चिमन के मकान व उनके मकानों की आपस में दीवार अड़ती है चिम्मन के मकान उसके मकान के पीछे है। चिम्मन वगैं उनके परिवार में ही है। **चिम्मन और सूरजभान उसके देवर जेठों के बेटे लगते है।** चिम्मन उसका देवर लगता है। घटना की रिपोर्ट उसने थाने में दी थी। घटना की रिपोर्ट थाने में देने उसके पति गये थे। उसका पति घटना की रिपोर्ट देने कितनी दिनांक को गया था उसे पता नहीं , वह पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन दो तीन दिन बाद गया था। **उसे ध्यान नहीं है कि थाने की रिपोर्ट पत्रावली में है या नहीं है।** उसका पति हार्ट का मरीज है वे घटना वाले दिन ही आ गये थे। उसे नहीं पता की कोर्ट में कितने दिन बाद गये थे। कोर्ट में पहले दो बार बयान हुए थे आज तीसरी बार बयान हुए है। **सूरजभान उसके जेठ का बेटा लगता है। सूरजभान की उम्र उसके बेटों की उम्र की है। प्रदर्श पी 02 नक्शामौका में क्या लिखा है इसकी जानकारी उसे नहीं है। उसके अंगूठा निशानी लगवाई थी।** प्रदर्श पी 02 पर उसके बेटे की बहु व उसके पति के हस्ताक्षर है। **यह कहना सही है कि उनका जमीनी विवाद है। उनका जमीन का बटवारा नहीं हुआ। लड़ाई भी जमीनी विवाद के चलते ही हुई थी। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी 02 पुलिस ने सही लिये थे उक्त बयान उसके बताये अनुसार लिखे गये है।** उसने उसका फटा हुआ ब्लाउज पुलिस को दिखाया था लेकिन वह गुदडी में डाल दिया। उससे पुलिस ने फटा हुआ ब्लाउज नहीं लिया। यह कहना गलत है कि उसके मेडिकल में कोई चोट नहीं हो। उसने डॉक्टर

को शरीर में दर्द होना बताया था। **यह कहना सही है की प्रदर्श पी 06 में यह बात नहीं लिखी है कि उसका ब्लाउज फाड दिया हो और उसे नीचे गिराया हो। यह कहना सही है कि सूरजभान ने गलत नियत से उसके बांथ भरी हो यह उसके 164 के बयानों में नहीं लिखा हुआ।** यह कहना सही है कि उसके 164 के बयानों प्रदर्श पी 06 में यह भी नहीं लिखा हुआ है कि इसको नंगा कर दो, इसको बदनाम कर दो। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 06 उसका चूडा फोड़ने की बात भी नहीं लिखी हुई है। यह कहना गलत है कि उनका जमीनी विवाद है इसलिए दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हो। उसके पति द्वारा दर्ज परिवाद प्रदर्श पी 01 में उनकी कृषि भूमि हड़पने की बात ए से बी भाग लिखाई हुई है जो सही है। **प्रदर्श पी 06 पर एक्स स्थान पर अंगूठा निशानी है वह अंगूठा निशानी उसकी है या नहीं उसे नहीं पता।** यह कहना सही है कि क्या कार्यवाही हुई उसे नहीं पता, उसने तो अंगूठा निशानी लगाई थी। यह कहना सही है कि उक्त सभी कार्यवाही उसके पति ने की थी जो सही कार्यवाही की है। यह कहना गलत है कि उक्त कार्यवाही उसके पति ने रंजिशवस की हो। उसके गले में जो मंगलसुत्र है वह घटना के वक्त टूटा वह नहीं है वह दूसरा मंगलसुत्र है। यह कहना गलत है कि उसने झूठे बयान दिये हो। इस प्रकार उक्त गवाह जो कि प्रकरण में स्वयं आहत व्यक्ति है। गवाह ने जिरह में माना कि उसने डॉक्टर को केवल 'शरीर में दर्द' होना बताया था। डॉक्टर (PW 2) के अनुसार उसके शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी। चूंकि यदि आठ लोग मिलकर किसी महिला को नीचे गिराकर बेरहमी से पीटेंगे, तो चोटें आना स्वाभाविक है। चोटों का न होना पीड़िता के **"मारपीट वाले आरोपों"** को पूरी तरह संदेहास्पद बनाता है। गवाह ने अपने साथ हुई लज्ञा भंग के संबंध में कथन किये कि **"यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–06 (164 के बयान) में यह बात नहीं लिखी है कि उसका ब्लाउज फाड़ दिया हो और उसे नीचे गिराया हो। ...यह भी नहीं लिखा हुआ है कि इसको नंगा कर दो, इसको बदनाम कर दो। ...चूड़ा फोड़ने की बात भी नहीं लिखी हुई।"** परन्तु उक्त तथ्य गवाह द्वारा न्यायालय के समक्ष हुए 164 सीआरपीसी के बयानों में अंकित नहीं करवाये गये हैं। ऐसे में गवाह द्वारा इस स्तर पर कोर्ट में दिए गए इन बयानों को **'बाद में सोच–समझकर तथा बढ़ा चढ़ाकर**" लिखाया जाना दर्शित होता है। गवाह ने जिरह में लड़ाई भी जमीनी विवाद के चलते ही होना कथित किया है तथा गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी 02 को भी सही माना है और बयान स्वयं के कहे अनुसार ही लिखना बताया है। इसके आगे गवाह ने जिरह में यह भी कथन किया है कि उसने 164 के बयानों में सुरजभान द्वारा गलत नियत से बांथ भरना भी नहीं लिखवाया है। इस प्रकार उक्त गवाह ने जिरह में जो सबसे अहम बात दर्ज की है कि उसके पुलिस बयान सही है उसके बोले गये अनुसार ही लिखे थे जिस आधार पर पुलिस द्वारा एफ.आर. लगाई गई थी। गवाह के इस कथन के बाद मामले में कुछ भी

शेष नहीं बचता है।

13. गवाह पी.ड. 4 प्रियंका ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये कि दिनांक 16.06.2016 को सुबह के 7:00 बजे करीब उसकी वह भैंसों का गोबर डाल रही थी। फिर सूरजभान, चिम्मनलाल, लीलाराम, मूलाराम, और मनोहरी, मंजू, केला, विमला उसकी सास संतोषदेवी के साथ लड़ाई झगड़ा व मारपीट घर के सामने कर रहे थे। सूरजभान उसकी सास के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की और उसकी सास का ब्लाउज फाड दिया था। बारघोडा होने पर वह भाग कर गई तो वह उसकी सास को छोड दिया। तथा उसकी सास को धमकी दी की तेरे साथ गलत काम करेंगे और तू मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे व जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने उक्त घटना बाबत घटनास्थल का नक्शामौका उसके सामने बनाया था जो प्रदर्श पी 02 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसके अलावा उसके ससुर बीरबल व संतोषदेवी भी मौके पर उपस्थित थे। उसके पूर्व में न्यायालय में बयान हुए थे। जिरह द्वारा वकील मुलजिमान में गवाह ने कथन किये कि वह 10 वीं तक पढी हुई है। उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे। पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। **पुलिस ने नक्शामौका गलत बनाया या सही बनाया उसे नहीं पता। उसे नहीं पता कि नक्शामौका प्रदर्श पी 02 में क्या लिखा है उसे नहीं पता उसके ससुर ने लिखवाया था।** थाने में वह नहीं गई नाहीं उसका कोई केस दर्ज करवाया। थाने में उसके ससुर ने रिपोर्ट दी थी। लेकिन पत्रावली में नहीं है। उसकी सास के छाती में लगी थी कितनी चोटे लगी थी उसे नहीं पता, क्योंकि उसने चोटे देखी नहीं। अजखुद कहा कि पैर में चोट थी। सारी चोटें अन्दर की चोट थी। उसकी सास को चोट दिखाने के लिए वह नहीं गई उसका ससुर गया था। **यह घटना हुई वह गोबर गेर रही थी। वह नहीं बता सकती कि वह घटना के कितनी देर बाद मौके पर पहुंची।** यह कहना सही है कि चिम्मन उसके परिवार के ही सदस्य हैं यह कहना सही है कि उनके बीच में जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद 10 साल से चल रहा है। यह कहना गलत है कि जमीन का विवाद चल रहा है इसलिए उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हो। उसके ससुर ने आज से पहले भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाये है। इस मुकदमे भी पुलिस ने झूठा मानकर एफ आर दे दी। यह कहना गलत है कि उसके न्यायालय में बयान दिये है वह झूठे हो। यह कहना गलत है कि उसके ससुर ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हो। इस प्रकार उक्त गवाह जिसे अभियोजन द्वारा बतौर चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में न्यायालय में परीक्षित करवाया गया है जिसने स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि **"यह घटना हुई तब वह गोबर गेर रही थी। वह नहीं बता सकती कि वह घटना के कितनी देर बाद मौके पर पहुंची"** गवाह द्वारा किये गये उक्त कथन से उसके द्वारा घटना देखे जाने पर प्रश्न चिह्न खड़ा होता है। गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि उसकी सास (संतोष देवी) के **"छाती**

में लगी थी" और फिर खुद ही कहा कि **"पैर में चोट थी, सारी चोटें अंदर की चोट थी।"** जबकि इस संबंध में यदि चिकित्सकीय साक्षी डॉ. हरिसिंह गोठवाल जो बतौर गवाह पी.ड. 02 न्यायालय में परीक्षित हुआ है उसके बयानों का अवलोकन किया जाये तो उसके अनुसार मजरूबा संतोष देवी के शरीर पर **कोई भी बाहरी या जाहिरा चोट नहीं थी**। डॉक्टर के अनुसार केवल सामान्य दर्द की शिकायत थी। इस प्रकार, प्रियंका द्वारा बताई गई चोटों की बात चिकित्सकीय साक्ष्य से मेल नहीं खाती हैं। गवाह ने नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 में क्या लिखा है इस संबंध में भी अनभिज्ञता जाहिर की है। इसके अलावा स्वयं व अभियुक्तगण के मध्य जमीनी विवाद होने के संबंध में भी गवाह ने कथन किये।

14. अब यदि अभियुक्तगण द्वारा परीक्षित कराये गये स्वतंत्र गवाह डी.ड.1 श्री बाबूलाल व डी.ड.2 के बयानों का अवलोकन किया जाये तो उक्त गवाहान ने अपने बयानों में पक्षकारान के मध्य जमीनी विवाद होने के चलते दिनांक 16.06.16 को औरतों ही औरतों में आपस में गाली गलौच होने व किसी के साथ कोई मारपीट नहीं होने का कथन किया है जिसका कोई खण्डन अभियोजन नहीं कर पाया है,दोनों ही गवाह स्वतंत्र व निष्पक्ष गवाह हैं। पुलिस द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत एफ.आर. में भी पुलिस ने पक्षकारान के मध्य जमीन का विवाद होने तथा इसी बात को लेकर औरतों के बीच आपस में गाली गलौच होना प्रमाणित मानते हुए प्रकरण में एफ.आर. प्रस्तुत की गई थी।

15. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन करें तो अभियोजन कहानी अनुसार मजरूबा संतोष देवी के साथ अभियुक्तगण द्वारा गैरकानूनी जनसमूह बनाकर मारपीट किया जाना अंकित किया गया है जबकि इस संबंध में पत्रावली पर आई मौखिक साक्षियों के अनुसार गवाह पी.ड. 1 जो प्रकरण में मजरूबा संतोष देवी का पति है ने अपने बयानों में बरवक्त घटना स्वयं को घटनास्थल पर मौजूद नहीं होना कथित करता है। गवाह पी.ड. 2 जो कि मजरूबा संतोष देवी का चोट प्रतिवेदन तैयारकर्ता है उक्त गवाह ने अपने बयानों में मजरूबा के कोई जाहिरा चोट नहीं होने तथा केवल मजरूबा के बताये अनुसार शरीर में दर्द होना कथित किया है । इसके अलावा गवाह पी.ड. 4 प्रियंका ने अपनी सास संतोष देवी के छाती में लगे होने तथा बाद में पैर में लगे होने का कथन किया है परन्तु उक्त गवाह द्वारा बताई गई चोटों का उल्लेख मजरूबा के चोट प्रतिवेदन में देखने से दर्शित नहीं होता है। परिवाद और मुख्य गवाहों (PW1, PW3, PW4) का आरोप था कि सभी अभियुक्तों ने मिलकर पीड़िता को नीचे गिराया, लात–घूंसों से मारपीट की और पत्थर फेंके। यदि 8 लोगों ने मिलकर ऐसी हिंसा की होती, तो शरीर पर खरोंच, कटना या नील जैसे निशान अवश्य होते। मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी चोट का न होना अभियोजन की **'मारपीट'** वाली कहानी को झूठा साबित करता है।

16. अब यदि अभियुक्त सूरजभान पर आरोपित अपराध धारा 354ए भादसं. पर विवेचन किया जाये तो परिवादी ने अपने परिवाद में मुल्जिम सूरजभान द्वारा मजरूबा संतोष देवी की लज्ञा भंग करने के आशय से बांथ भरकर पकड़ने के संबंध में उल्लेख किया है। इस संबंध में यदि मजरूबा संतोष देवी के पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 का अवलोकन किया जाये तो गवाह ने तथाकथित अभियुक्त सूरजभान द्वारा उसकी लज्ञा भंग करने किये जाने से संबंधित कोई कथन नहीं किये हैं। इसके अलावा यदि मजरूबा/परिवादिया के न्यायालय के समक्ष हुए बयानों का भी अवलोकन किया जाये तो उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षा में तथाकथित अभियुक्त सूरजभान द्वारा उसके बांथ भरने तथा उसका ब्लाउज फाड़ देने, उसके साथ गलत हरकत करने व मुल्जिमाना द्वारा **"इसके कपड़े फाड़ कर नंगा कर दो ताकि ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहे"** का कथन किया जाना कथित किया है। परन्तु ऐसे कोई कथन मजरूबा द्वारा अपने पुलिस बयान तथा 164 सीआरपीसी के बयानों में कथित नहीं किया है। मजरूबा के बताये अनुसार तथाकथित अभियुक्त सूरजभान द्वारा उसका ब्लाउज फाड़ा गया वह भी उसके द्वारा पुलिस को नहीं दिखाया गया ना ही अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई कथन अपने द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. में स्पष्ट किया है। परिवादी ने खुद माना है कि घटना "लोगों ने देखी", लेकिन अभियोजन पक्ष ने किसी भी **स्वतंत्र या मोहल्ले के गवाह** को कोर्ट में परीक्षित नहीं करवाया। जो गवाह पेश किए गए वे सब घर के/हितबद्ध साक्षी हैं। गवाह प्रियंका (पी.डब्ल्यू. 4) भी घटना के समय गोबर डाल रही थी और उसने स्वीकार किया कि उसे नहीं पता कि वह कितनी देर बाद मौके पर पहुंची। अतः कोई विश्वसनीय चश्मदीद गवाह नहीं है। जबकि इस संबंध में जो चक्षुदर्शी साक्षी गवाह डी.ड. 1 बाबूलाल व डी.ड. 2 राजेन्द्र न्यायालय में परीक्षित हुए हैं उन्होंने अपने बयानों में पक्षकारान के मध्य जमीनी विवाद के चलते औरतों में कहासुनी / गाली गलौच होना कथित किया है। उक्त तथ्यों की पुष्टि स्वयं आहतगण/मजरूबान ने भी अपने बयानों में की है तथा पुलिस द्वारा अपने अनुसंधान में भी दोनों पक्षों में आपस में जमीनी विवाद होना और इसी बात को लेकर औरतों के बीच आपस में गाली गलौच होने का उल्लेख किया है। उक्त गवाहान ने मजरूबा संतोष के साथ कोई मारपीट नहीं होने तथा उसकी लज्ञा भंग होने जैसे की कोई घटना नहीं होने तथा तथाकथित अभियुक्त सूरजभान बरवक्त घटना मौके पर हो ऐसा कोई कथन अपनी साक्ष्य में कथित नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों से न्यायालय के मत में इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता कि "जमीनी रंजिश के कारण अभियुक्तगण पर दबाव बनाने के लिए, बिना किसी चिकित्सीय पुष्टि और धारा 164 के बयानों में भारी विरोधाभास के, धारा 354ए भा.दं.सं. का झूठा और बढ़ा–चढ़ाकर आरोप लगाया गया है।"

17. चूंकि अभियोजन को अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है यदि

तनिक मात्र भी संदेह अभियोजन कहानी में उत्पन्न होता है तो उसका लाभ आपराधिक विधि में अभियुक्त को दिया जाना होता है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के मध्यनजर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 16.06.2016 समय सुबह करीब 07.00 बजे स्थान ढ़ाणी नाल की तन सिरोही, तहसील नीमकाथाना में पांच या अधिक व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव कर परिवादी बीरबल की पत्नी संतोष देवी के साथ मारपीट करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बल्वा कारित किया तथा परिवादी के घर पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक पत्थर फेंककर मानव जीवन एवं दूसरों का व्यैक्तिक क्षेम संकटापन्न किया तथा अभियुक्त सूरजभान ने मुस्तगीसा संतोष देवी की लज्ज़ा भंग करने के आशय से उसकी बांथ भरकर, उसका कमीज छाती के उपर से फाड़कर उसे निवस्त्र करने के आशय से उस पर हमला व आपराधिक बल का प्रयोग किया।

18. ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 147, 336, 354ए भादसं. को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असमर्थ रहा है। अतः अभियुक्त सूरजभान अपराध अंतर्गत धारा 147, 336, 354ए भादसं. से तथा शेष अभियुक्तगण धारा 147, 336 भादसं. से संदेह से परे साबित नहीं होने के कारण दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

:ः आदेश:ः

19. एतद्द्वारा अभियुक्त 1. मालाराम पुत्र रिछपाल, 2. चिमनलाल पुत्र पोखरमल 3. लीलाराम पुत्र रिछपाल, 4. मन्दोरी पत्नी गोकुलचंद, 5. केला पत्नी मूलचंद, 6. मंजू पत्नी लीलाराम, 7. विमला पत्नी कमलेश, 8. सूरजभान पुत्र गोकुलचंद निवासीगण ढ़ाणी नाल की, तन सिरोही, तहसील नीमकाथाना को अपराध अंतर्गत धारा 147, 336 भादसं. से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है

20. अभियुक्तगण के उपस्थिति बाबत पूर्व के प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437ए सीआरपीसी/481 बीएनएसएस के तहत 10,000/– रुपए का जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका इस आशय का पेश करे कि वह इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा।

(राकेश शर्मा)
अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नीमकाथाना, जिला सीकर

23. निर्णय आज दिनांक 30.06.2026 को लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश शर्मा)
अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नीमकाथाना, जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.08 15:36:47 IST